

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15078/2024

सैनी स्टोन बिल्डिंग मटेरियल जी-25, न्यू हॉस्पिटल टू रेड क्रॉस सर्किल, आरबीएम हॉस्पिटल के पास भरतपुर (राजस्थान) इसके प्रोपराइटर हरेंद्र सैनी पुत्र श्री लाला राम सैनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गोपालगढ़, गधीना गेट, भरतपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज) के माध्यम से।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज)।
3. आयुक्त नगर निगम भरतपुर, जिला भरतपुर (राज.)।

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया
उत्तरदाता(ओं) के लिए : सुश्री शिखा शर्मा,
श्री जी.एस. गिल, एएजी के लिए

माननीय मुख्य जस्टिस श्रीमान मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
माननीय श्री जस्टिस आशुतोष कुमार
आदेश

रिपोर्टयोग्य

23/10/2024

1. सुना।
2. याचिकाकर्ता की संपत्ति को जब्त करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई को चुनौती देने के अन्य आधारों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का भी आधार है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नोटिस राम गोपाल सैनी के नाम से जारी किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ही प्रतिष्ठान/सैनी स्टोन का एकमात्र स्वामी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बिना सुनवाई का अवसर दिए और उनका जवाब मांगे, उक्त कार्रवाई की गई जिसके तहत परिसर को सील कर दिया गया और इस प्रकार, याचिकाकर्ता पर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना भारी राशि की वसूली हेतु बलपूर्वक कार्रवाई की गई।
4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने दलील दी कि इस संबंध में याचिकाकर्ता का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। दलील यह भी दी गई कि नोटिस मौके पर लिया गया था और याचिकाकर्ता वहाँ पाया गया। उसे नोटिस लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया, इसलिए वह प्राकृतिक न्याय के

सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकता। राज्य सरकार के विद्वान वकील ने यह भी दलील दी कि जवाब के साथ संलग्न तस्वीरों से यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता को नोटिस मिला था, लेकिन उसने पावती देने से इनकार कर दिया।

5. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है या एकत्र नहीं किया जा सकता है जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत संवैधानिक संरक्षण की गारंटी है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (संक्षेप में '2009 का अधिनियम') के प्रावधानों के तहत शहरी विकास कर लगाने के मामले में, राजस्थान नगर पालिका (शहरी विकास कर), नियम 2007 के साथ पढ़ें, कानून चरम उपाय करने से पहले नोटिस देना अनिवार्य करता है; जैसे कर का भुगतान न करने के आरोपों पर संपत्ति जब्त करना। नगर पालिका अधिनियम की धारा 131 (1) कर के संग्रह और वसूली के संबंध में विस्तृत प्रावधान प्रदान करती है। धारा 130 में यह अधिदेश दिया गया है कि यदि वह राशि, जिसके लिए कोई बिल प्रस्तुत किया गया है, नगरपालिका कार्यालय में या उस भुगतान को प्राप्त करने के लिए किसी नियम द्वारा अधिकृत व्यक्ति को, प्रस्तुतिकरण से 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, नगरपालिका उस व्यक्ति पर, जिसे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया है, चतुर्थ अनुसूची के प्ररूप में या उसी प्रकार के प्रभाव की मांग की सूचना तामील करा सकेगी।

6. धारा 131 में आगे की कार्यवाही का प्रावधान है, जिसमें वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की भी शामिल है। प्रासंगिक प्रावधान नीचे उद्धृत है:-

“130. मांग की सूचना.- यदि वह राशि, जिसके लिए कोई बिल पूर्वोक्त रूप में प्रस्तुत किया गया है, नगरपालिका कार्यालय में या उस निमित्त किसी नियम द्वारा ऐसा भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, उसके प्रस्तुत किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो नगरपालिका उस व्यक्ति पर, जिसे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया है, चौथी अनुसूची के प्ररूप में या उसी प्रकार की मांग की सूचना तामील करा सकेगी।

131. किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा - (1) यदि वह व्यक्ति, जिस पर धारा 130 के अधीन मांग की सूचना तामील की गई है, ऐसी मांग की सूचना की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर, या तो,-

(क) नोटिस में मांगी गई राशि का भुगतान करें, या

(ख) नगरपालिका या ऐसे अधिकारी को, जिसे नगरपालिका नियम द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, यदि कोई हो, समाधानप्रद रूप में कारण बताये कि वह उसका भुगतान क्यों न करे, या

(ग) मांग के विरुद्ध धारा 121 के उपबंधों के अनुसार अपील प्रस्तुत कर सकेगा, - ऐसी राशि, वसूली के सभी खर्चों सहित, चूककर्ता की किसी संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उद्गृहीत की जा सकेगी और चल संपत्ति की कुर्की की दशा में, मुख्य नगरपालिका कार्यालय द्वारा पांचवीं अनुसूची के प्ररूप में या उसी प्रकार के प्रभाव का वारंट जारी करवाया जाएगा और अचल संपत्ति की कुर्की की दशा में, नगरपालिका द्वारा ऐसे प्ररूप में वारंट जारी करवाया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को देय किसी धनराशि की वसूली के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई कुर्की और विक्रय वारंट उस तारीख से, जिसको ऐसा वारंट उस उपधारा के अधीन जारी किया जा सकता था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् नगरपालिका, भू-राजस्व के बकाया के रूप में नगरपालिका को देय किसी राशि की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध करने की हकदार होगी।

(3) प्रत्येक वारंट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी किया जाएगा।

(4) जहाँ ऐसी संपत्ति नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, वहाँ वारंट नगरपालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा।

(5) जहाँ ऐसी संपत्ति किसी अन्य नगरपालिका में या किसी ऐसे

स्थान पर है जो नगरपालिका नहीं है, वहाँ वारंट, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या तहसीलदार को संबोधित किया जाएगा:

प्रदान किया कि ऐसा मुख्य नगरपालिका अधिकारी या तहसीलदार किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा वारंट पृष्ठांकित कर सकेगा।"

6.1 धारा 131 की उपधारा (1) में नोटिस का प्रावधान है। धारा 131(1) के तहत नोटिस की तामील के बावजूद, जब कोई व्यक्ति भुगतान करने में विफल रहता है, तभी प्राधिकारी कुर्की सहित आगे की कार्रवाई कर सकता है।

6.2 याचिका के साथ संलग्न नोटिस से पता चलता है कि राम गोपाल सैनी के नाम पर नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादियों के उत्तर से यह नहीं पता चलता कि याचिकाकर्ता के नाम पर कोई नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत जारी दुकान संबंधी प्रमाण पत्र से पता चलता है कि प्रतिष्ठान याचिकाकर्ता हरेंद्र सैनी के नाम पर है। इसके अलावा, प्रतिवादियों के अनुसार, दायित्व याचिकाकर्ता हरेंद्र सैनी पर है। हम यह समझने में असफल हैं कि यदि

प्रतिवादियों के अनुसार दायित्व हरेंद्र सैनी पर था, तो किन परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नोटिस जारी किया गया।

7. जो भी हो, प्रतिवादी अपने जवाब में याचिकाकर्ता के नाम से जारी कोई नोटिस या नोटिस प्राप्ति की कोई पावती पेश करने में विफल रहे हैं, और नगरपालिका के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी भी पंचनामा की तो बात ही छोड़ दें, जिसमें यह बताया गया हो कि याचिकाकर्ता को नोटिस देने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। केवल कुछ तस्वीरें ही रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं। इन तस्वीरों के आधार पर यह दर्शाया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को नोटिस मिला था। ये तस्वीरें प्रतिवादियों द्वारा दिए गए हलफनामे में दिए गए किसी भी बयान को साबित नहीं करती हैं। याचिकाकर्ता के हाथ में क्या था, यह ज्ञात नहीं है। इसके अलावा, इसे नोटिस तामील के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

8. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध जिस प्रकार कार्यवाही की है, वह न केवल 2009 के अधिनियम की धारा 130 और 131 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत संवैधानिक आदेश का भी उल्लंघन करता है। न केवल लेवी के संबंध में, बल्कि संग्रहण और वसूली के संबंध में भी कानून का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कानून के प्रावधानों के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

9. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की संपत्ति कुर्क करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई अवैध घोषित की जाती है। प्रतिवादी तत्काल संपत्ति को कुर्की से मुक्त करें। हम प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के नाम पर, यदि कोई हो, देय कर की वसूली हेतु नई कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देते हैं, जिसमें याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उसे वसूलने की स्वतंत्रता होगी।

10. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(आशुतोष कुमार), जे
एन.गांधी/तनिषा/52

(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी

संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate